

81/11/12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADE

सत्येन्द्र पाल

11 JUL 2012

क्रीषाधिकारी

आगरा



B 895107

भूमि का प्रकार
मौजा
विवरण विक्रीत आराजी

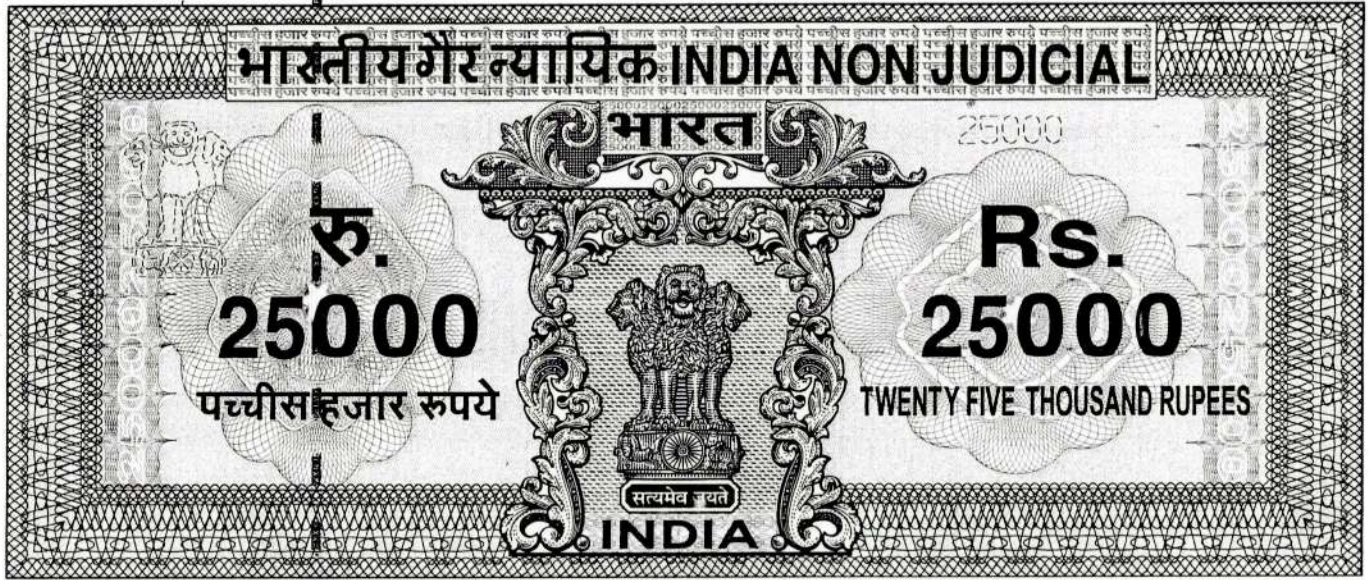
:- ओउम :-

- कृषि भूमि
- मौजा कुण्डौल तहसील व जिला आगरा
- आराजी वाकै मौजा कुण्डौल तहसील व जिला आगरा खाता नं० 00287 खसरा नं० 1612 रकवई 1.000 हैक्टेयर लगानी मुताबिक खतौनी में से आराजी रकवई 0.1240 हैक्टेयर जो कृषिकीय भूमि है जिसमें कोई द्यूबवैल पेड़ व आबादी नहीं है जिसके आस पास 200 मीटर की परिधि में कृषि हो रही है तथा विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है।

1/15/2012

Neema Gupta





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 895106

B 895106

सत्येन्द्र पाल

11 JUL 2012

क्रीषाधिकारी
आगरा

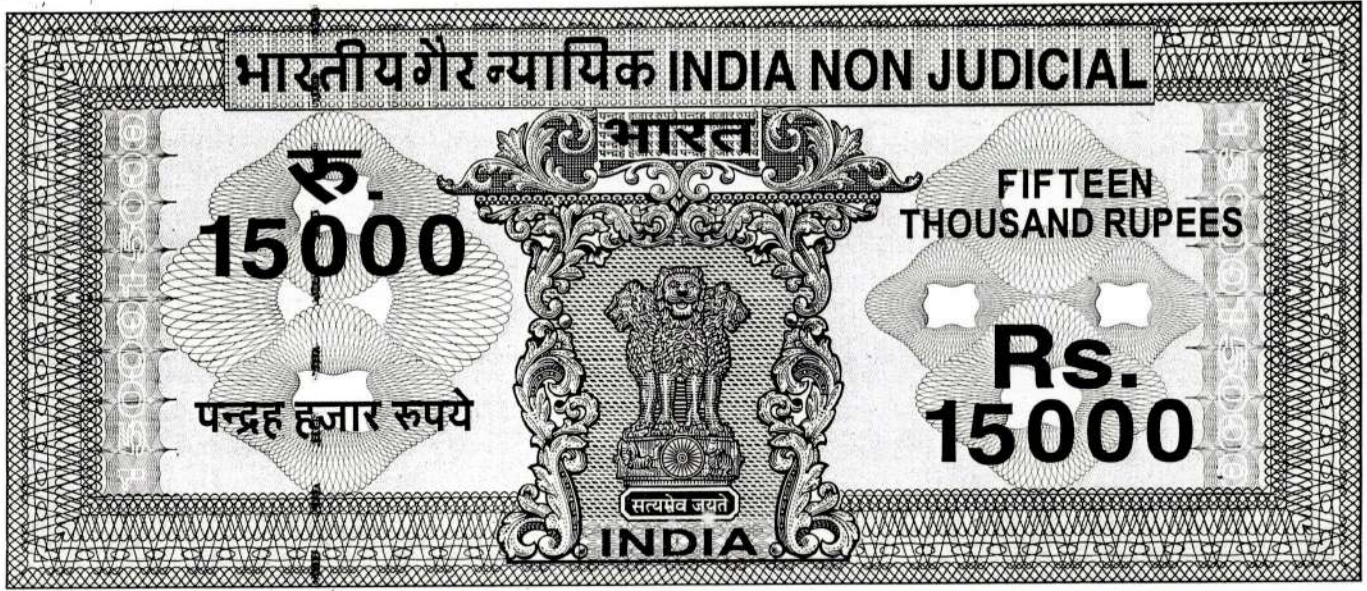
2

प्रतिफल की धनराशि	—	13,00,000 /— रुपया
सरकारी मालियत	—	12,40,000 /— रुपया
सर्किल	—	1,00,00,000 /— रुपया हैक्टैयर
स्टाम्प	—	65,000 /— रुपया
अन्य विवरण	—	उक्त आराजी कृषि भूमि है, जिस पर नियमानुसार स्टाम्प सर्किल रेट के अनुसार अदा किया गया है, जिसका सर्किल रेट उपनिबंधक तृतीय आगरा के यहाँ भाग 2(ग) पेज नं0 21 कॉलम 3 पर अंकित है तथा उक्त आराजी सीलिंग क्षेत्र से बाहर है जिस पर नियमानुसार स्टाम्प अदा किया गया है।



Deema Guptha





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

293175

सत्येन्द्र पाल

06 JUL 2012

कोषाधिकारी
आगरा

3

नाम विक्रेता -

वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम रामपुर, तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा फरीक अव्वल।

नाम क्रेता -

अर्पण बिल्डकौन प्रा० लि० आगरा द्वारा डायरेक्टर श्रीमती सीमा गुप्ता पत्नी श्री दिनेश चंद गुप्ता निवासी ई-4, लायर्स कॉलोनी, आगरा फरीक दायम।

जो कि आराजी वाकै मौजा कुण्डौल तहसील व जिला आगरा खाता नं० 00287 खसरा नं० 1612 रकवई 1.000 हैक्टेयर लगानी मुताबिक खतौनी में से आराजी रकवई 0.1240 हैक्टेयर जो कृषिकीय भूमि है को फरीक अव्वल ने वजरिये बैनामा नविस्ता गोकुल सिंह दिनांक 01.02.2012 जिसकी रजिस्ट्री बही नं० 1 जिल्द 4346 के सफा 307/348 में नं० 1159 पर दिनांक 01.02.2012 पर दर्ज रजिस्टर्ड श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब आगरा हुई है तनहा क्रय की थी और फरीक अव्वल का नाम खतौनी वर्ष 1418 फसली लगायत 1423 फसली में वहैसियत मालिक दर्ज हो चुका है और फरीक अव्वल को अपनी उक्त आराजी की बावत पूर्ण हक मालिकाना मिस्ल वैय वगैरा हर किस्म के

व/डि०

Seema Gupta



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

48AB 624383

तनहा हासिल है सिवाय फरीक अब्बल के अन्य कोई हकदार व हिस्सेदार वगैरा उक्त आराजी मजकूर में नहीं है जो माने किसी प्रकार के इन्तकाल वगैरा का होवे और उक्त आराजी आज तक हर कर्जे व वार व रहन व वैय व इंतकालात व जुमला देनदारियों वगैरा से कतई तौर पर पाक व साफ है। अगर बाद तकमील बैनामा हाजा इसके खिलाफ कोई अम्र जाहिर या साबित हो तो ऐसी जुमला सूरतों में फरीक अब्बल जुमला नताइज कानूनी के जिम्मेदार होंगे। जो आज तक किसी भी सरकारी व अर्द्धसरकारी योजना में अधिग्रहण नहीं हुई है और न ही उस पर किसी विभाग का लोन आदि है जो पूर्ण रूप से पाक व साफ है। अब फरीक अब्बल को अपनी उक्त आराजी रकवई 1.000 हैक्टेयर में से आराजी रकवई 0.1240 हैक्टेयर जो साथ लगे नक्शे में व रंग लाल से जाहिर की गयी है का विक्रय करना मिलने माकूल कीमत वक्त मौजूदा के मंजूर है।

दीपक

Aruma Gya



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

48AB 624384

लिहाजा फरीक अब्बल ने उपरोक्त कुल आराजी रकवई 1.000 हैक्टेयर में से आराजी रकवई 0.1240 हैक्टेयर मजकूरावाला को, कि जो साथ लगे नक्शों में व रंग लाल से जाहिर की गई है, को अपनी राजी व खुशी से बिना दवाव किसी नाजायज के मय जुमला हक हकूक दाखिली व खारिजी के विल एवज मुवलिंग 13,00,000/- तेरह लाख रुपया कि जिसके आधे 6,50,000/- छैः लाख पचास हजार रुपया होते है बदस्त अर्पण बिल्डकौन प्रा0 लि0 आगरा द्वारा डायरेक्टर श्रीमती सीमा गुप्ता पत्नी श्री दिनेश चंद गुप्ता निवासी ई-4, लायर्स कॉलोनी, आगरा को वैय कतई की और बेच दी कीमत का कुल रुपया विक्रेता ने क्रेता से हस्व तफसील जैल वसूल पाना तय करार पाया है और उक्त रुपया प्राप्त हो जाने के पश्चात् विक्रेता का क्रेता से कीमत में कुछ पाना शेष नहीं रहा और न आयंदा होगा और न कोई ताल्लुक व सरोकार आज के बाद विक्रीत आराजी से फरीक अब्बल का रहा और न भविष्य मे होगा।

लिहाजा कब्जा व दखल वाकई खाली बिक्रीत आराजी पर आज की तारीख से क्रेता का करा दिया है और क्रेता को आराजी मजकूर का तनहा मालिक कामिल व काबिज व दखील बना दिया है अब क्रेता को अधिकार है कि वह बिक्रीत आराजी से वहैसियत मालिक चाहे जैसे लाभान्वित होवे और रहन वैय वगैरा जो चाहे सो करे कुल अख्यारात निस्वत विक्रीत आराजी मजकूर तनहा खरीदार को हक मालिकाना हासिल है और आयंदा रहेगे। क्रेता

दी. २३/३/०५

Neema Gupta



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

48AB 624385

अपने नाम का दाखिल खारिज जरिये बैनामा हाजा कागजात सरकार मे दर्ज करा लेवे।

अगर सानी उलहाल कोई वारिस या दावेदार कौमी या खानदानी या नीज दीगर किसी तरह का किफालतदार आराजी मजकूर में पैदा होकर दावा-झगड़ा क्रेता से करे और उसकी वजह या किसी दीगर वजह से आराजी मजकूर का जुज या कुल कब्जा व दखल क्रेता से निकल जावे या किसी को कुछ रुपया अदा करने पड़ें तो ऐसी जुमला सूरतों में उस कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदायगी जरे समन मजकूर मय सूद हर्जे व खर्चे व लागत के विक्रेता व उनके वारिसान व कायम मुकामान उनके के है और होगी और क्रेता को अधिकार होगा कि वह कुल रुपया जरिये अदालत वसूल कर ले इसमें विक्रेतागण व उनके वारिसान को कुछ उज्र नहीं होगा।

तफसील वसूल यावी जरे समन इस प्रकार है :-

मुवलिग 13,00,000/- रुपया वजरिये चैक नं0 740151 दिनांक 20.07.2012 एच.डी.एफ.सी. बैंक लि0 संजय प्लेस, आगरा के वसूल पाना तय करार पाया है और उक्त रुपया प्राप्त हो जाने के पश्चात् विक्रेता का क्रेता से कीमत में कुछ पाना शेष नहीं रहा और न आयंदा होगा।

वीरेश कुमार



Arumma Gupta





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7

48AB 624387

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे व मसौदा दिनेश कुमार बंसल दस्तावेज लेखक सदर तहसील आगरा द्वारा फरीकेन के कथनानुसार दीपक से दिनांक 12.07.2012 ई0 को प्रिन्ट कराया।

लेखक का नाम दिनेश कुमार बंसल

लाइसेंस नं. 18

मान्य सन 20 11 2012

लेखक शुल्क

लेखक के हस्ताक्षर

di/skm

प्रमाणित किया जाता है कि यह दस्तावेज दिनेश कुमार बंसल द्वारा लिखा गया है और यह सत्य है।

Gurush Gupta

गवाह :- DINESH CHANDRA GUPTA
8/0 SPRI RAM DUT GUPTA
E-4, LAWYERS COLONY,
AGRA.

गवाह :-

Vijay
Vijay Kumar Rathi s/o Shri Som Charan Rathi
Aps, Rahul Vikram
Shamsabad Road Agra

Artema Gupta



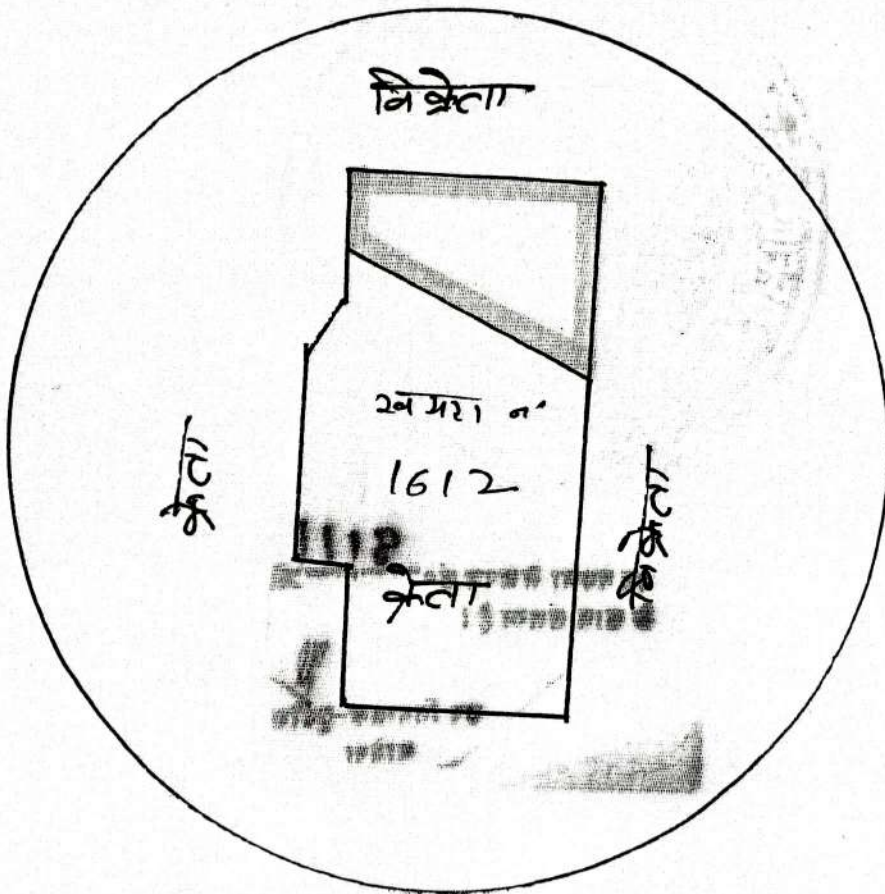
मानचित्र आराजी नक्के मौजा
कुण्डोल आगरा खसरा नं. 1612

विक्रेता: श्री श्रीराम कुमार

क्रेता: अर्पण बिल्डमैन छाव लिंग

नम्बरो में उंगलाल से दिखाया है

खसरा नं. 101240 हेक्टेयर विस्तृत



वीडियो

Arjun Gupta

TRACED

2500
2

यह स्थान धनराशि रु. 67000/-
में शामिल है।

Chief Cashier
Try. Agra.

1,300,000.00/ 1,240,000.00

विक्रय पत्र

10,000.00 20 10,020.00 800
फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत
श्री वीरेन्द्र कुमार
पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी रामपुर फतेहाबाद आगरा
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/7/2012 समय 3:16PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
आर.पी. पाण्डेय
उप निबन्धक तृतीय
सदर आगरा
20/7/2012

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता

श्री वीरेन्द्र कुमार
पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
पेशा व्यापार
निवासी रामपुर फतेहाबाद आगरा

क्रेता
श्रीमती सीमा गुप्ता
पत्नी श्री दिनेश चन्द गुप्ता
पेशा गृहिणी
निवासी लायर्स कालोनी आगरा

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री दिनेश चन्द गुप्ता
पुत्र श्री राम दत्त गुप्ता
पेशा व्यापार
निवासी लायर्स कालोनी आगरा
व श्री विजय कुमार गुप्ता
पुत्र श्री सीम चन्द गुप्ता
पेशा व्यापार
निवासी राहुल विहार आगरा
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगुठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
आर.पी. पाण्डेय
उप निबन्धक तृतीय
सदर आगरा
20/7/2012

अज्ञान देवेंद्र कुमार दिनेश गुप्त विजय

PSNO
3

यह स्टॉक घनराशि ह० 69000/

न० मे काट्टा के।

S. J. Singh
Chief Cashier
Try. Agra.

विक्रेता

Registration No.: 8111

Year : 2,012

Book No. : 1

0101 वीरेन्द्र कुमार
जगदीश प्रसाद
रामपुर फतेहाबाद आगरा
व्यापार



3160
12/7/12
10/6
अपनी निवास जगह का नाम

प्रेसा

Registration No. : 8111

Year : 2012

Book No. : 1

0201 सीमा गुप्ता
दिनेश चन्द गुप्ता
लायर्स कालोनी आगरा
गृहिणी



3163
12/7/12
3160
सजय कुमार बस्तेल
स्थायी निवासी
सं. 22 अर्थात् 31 मार्च 2016
तहसील सदर आगरा

आज दिनांक 20/07/2012 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 4731
पृष्ठ सं. 289 से 304 पर क्रमांक 8111
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आर.पी. पाण्डेय
उप निबन्धक तृतीय
सदर आगरा
20/7/2012